



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236051
CG-DL-E-27052022-236051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2303]
No. 2303]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2429(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, (सुश्री वंदिता कौल के स्थान पर) श्री पंकज शर्मा (आईसीएएस 2000), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को वर्तमान नियुक्ति के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तत्काल प्रभाव से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2014-पीआर]

सुषमा किंडो, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2429(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013, the Central Government hereby appoints Shri Pankaj Sharma (ICAS 2000), Joint Secretary, Department of Financial Services, as Part-time Member, Pension Fund Regulatory and Development Authority (vice Ms. Vandita Kaul), with immediate effect, for the duration of his tenure in his present appointment or until further orders, whichever is earlier

[F. No. 2/1/2014-PR]

SUSHMA KINDO, Jt. Director